प्रेस के लिए सूचना नोट

(प्रेस विज्ञप्ति सं.13/ 2026)

<u>तत्काल प्रकाशन हेतु</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने "डोमेस्टिक लीज्ड सर्किट के लिए टैरिफ की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 23 जनवरी 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "डोमेस्टिक लीज्ड सर्किट के लिए टैरिफ की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) भादूविप्रा को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए दरों को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भादूविप्रा डीएलसी के लिए अधिकतम टैरिफ को अधिसूचित कर रहा है, इस तरह की अंतिम अधिसूचना 2014 का टीटीओ (57वां और 58वां संशोधन) है।

3. वर्तमान परामर्श पत्र का प्राथमिक उद्देश्य प्रचलित बाजार स्थितियों और तकनीकी प्रगति के अनुरूप मौजूदा डीएलसी सीलिंग टैरिफ ढांचे की पुनर्विलोकन के संबंध में हितधारकों की टिप्पणी प्राप्त करना है, जिसका समग्र प्रयोजन, उद्देश्य डीएलसी बाजार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सभी क्षेत्रों और उपयोगकर्ताओं की श्रेणियों में डीएलसी तक उचित और सस्ती पहुँच की सुविधा प्रदान करना है। यह प्रस्तावित सीलिंग टैरिफ पुनर्विलोकन डीएलसी के विकास को मौजूदा में रखना चाहती है, जिसमें पी2पी और वीपीएन आधारित डीएलसी दोनों शामिल हैं, एक प्रबंधित सेवा के रूप में जो बैंडविड्थ, अपटाइम, विलंबता आदि जैसी विविध, विभिन्न सेवा प्रतिबद्धताएँ को वहन करती है।

4. इस संबंध में, इस विषय पर हितधारकों के विचार जानने के लिए 29 अप्रैल 2025 को एक पूर्व-परामर्श पत्र पहले जारी किया गया था। पूर्व-परामर्श पत्र पर प्राप्त स्टेकहोल्डरों द्वारा दी गई जानकारी और भादूविप्रा के आगे के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) में

डोमेस्टिक लीज्ड सर्किट (डीएलसी) के लिए टैरिफ की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र उपलब्ध करवाया गया है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे 22 फरवरी 2026 तक अपनी लिखित टिप्पणियां प्रदान करें। टिप्पणियां pradvfea@trai.gov.in पर भादूविप्रा के प्रधान सलाहकार (वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण) श्री डी. मनोज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जा सकती हैं।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष नंबर 011-26701474 पर संपर्क किया जा सकता है।

(शिव भद्र सिंह)
सचिव